2012:सीजीएचसी:8691-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 828 / 2008

शत्रुहन साहू

विरूद्ध

छत्तीसगढ राज्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें, दिनांक 28.02.2012

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 828 / 2008

अपीलार्थी

(जेल में) शत्रुहन साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता श्री जैताराम साहू, मज़दूर एवं कृषक, निवासी ग्राम गोपालभावना, थाना पिपरिया,
ज़िला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता)

दिनांक 17-02-2012 को सुरक्षित रखा गया

उपस्थित-

अपीलार्थी के लिए: श्री पी. के. सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री शशि भूषण

प्रत्यर्थी/राज्य के लिए: श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 28 फरवरी, 2012 उद्घोषित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया।

(1) इस अपील में दिनांक 7.8.2008 को सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 01/08 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त शत्रुहन को प्रच्छन्न गृह अतिचार कर चोरी करने, घातक हथियार का उपयोग कर डकैती के उपरान्त गंभीर चोट पहुँचाने तथा मिलाबाई की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए, सह-अभियुक्त सुशीला बाई को दोषमुक्त कर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 459 एवं 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास, पाँच वर्ष का सश्रम कारावास तथा सात वर्ष का सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश पारित किया।

(2) दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया है और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

(3) अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, जून 2007 में मृतका मिलाबाई के पति घासीराम (अ.सा.–2) ने अपनी कृषि भूमि ₹3,20,750/- में बेची। उसने अपनी पत्नी के लिए लगभग ₹40,000/- के ज़ेवर ख़रीदे, जैसे 5 लड़ की करधन, पैरों के गहने तथा ऐंठी आदि, ₹100, ₹20 तथा ₹50 के नोट, कुल ₹1,22,000/-, एक डिब्बे में रखकर चावल के नीचे छुपाए गए। दिनांक 15.10.2007 को घासीराम (अ.सा.–2) अपनी पत्नी मिलाबाई के साथ ग्राम पिपरिया गया। मिलाबाई अकेली अपने गाँव गोपालभावना वापस आ गई और घासीराम अपने ससुराल में ही ठहर गया। दूसरे दिन उसे टेलीफ़ोन से सूचना मिली कि उसकी पत्नी मिलाबाई की मृत्यु हो गई है। वह अपने घर आया जहाँ उसने अपनी पत्नी का शव देखा, कुछ व्यक्तियों ने चावल के नीचे रखी नक़दी की चोरी कर ली थी तथा मृतका के शरीर से लच्छा, करधन, ऐंठी और चाँदी व सोने के गहने उतार लिए थे और उसकी हत्या कर दी थी। उसने देहाती नलिशी प्र.पी/2 के द्वारा दर्ज कराई। देहाती मर्ग प्र.पी/3 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी घटना-स्थल के लिए रवाना हुआ और साक्षियों को समन करने के बाद प्र.पी/18 के तहत मृतका मिलाबाई के शव का पंचनामा प्र.पी/19 के अनुसार तैयार किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल का नक्शा प्र.पी/4 के तहत तैयार किया। मृतका के कमरे के ताले की अतिरिक्त चाबी प्र.पी/6 के तहत जप्त की गई। मृतका के पति से हार का एक हिस्सा प्र.पी/11 के तहत जप्त किया गया। मृतका के शव को शव परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, कबीरधाम भेजा गया। डॉ. संतोष लुनिया (अ.सा.–4) ने प्र.पी/14 के अनुसार मिलाबाई का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं–

(i) गर्दन पर लगभग 12 सेमी. लम्बा निशान।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) श्वासनली (ट्रेकिआ) के भीतर रक्त पाया गया।

मृत्यु का कारण गला घोंटने से उत्पन्न श्वास अवरोध पाया गया और मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। अन्वेषण के दौरान फ़ोटोग्राफ लिए गए, नंबरी मर्ग प्र.पी/17 के तहत दर्ज किया गया और प्र.सू.रि. प्र.पी/30 के अनुसार दर्ज हुई। अपीलार्थी शत्रुहन को दिनांक 18.10.2007 को गिरफ़्तार किया गया। उसने अपने प्रकटन कथन में वस्तुओं ऐंठी, लच्छा, करधन, चाँदी की अंगूठी, सोने का हार, सोने की टॉप्स तथा ₹90,000/- नक़द के संबंध में बताया, जिसे प्र.पी/7 में दर्ज किया गया। उक्त वस्तुएँ अपीलार्थी शत्रुहन के कथन के आधार पर खाद के गड्ढे से दबी हुई अवस्था में प्र.पी/9 के तहत बरामद की गईं। सह-अभियुक्त सुशीला ने भी उपर्युक्त वस्तुओं तथा एक ताले के संबंध में प्रकटन कथन प्र.पी/8 के तहत किया। ताला एवं उसकी चाबी सह-अभियुक्त सुशीला के निशानदेही पर प्र.पी/10 के तहत जप्त किए गए। दिनांक 18.10.2007 को अपीलार्थी शत्रुहन के निशानदेही पर जप्त ज़ेवरों का वज़न मनोज सोनी (अ.सा.–12) ने प्र.पी/12 के अनुसार किया। अपीलार्थी शत्रुहन का भी परीक्षण किया गया। जप्तशुदा वस्तुओं को पहचान कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया और नायब तहसीलदार एस.आर. दीवान (अ.सा.–13) ने प्र.पी/1 के तहत परीक्षण-पहचान कराई, जिसमें मृतका के पति घासीराम (अ.सा.–2) ने उक्त वस्तुओं की पहचान की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए और अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम (कवर्धा) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) के पास उर्पापित किया।

(5) अभियुक्तगण का अपराध प्रमाणित करने के उद्देश्य से अभियोजन ने कुल तेरह साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण के कथन संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लिए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपराध में झूठा फँसाया जाना कहा।

(6) पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम ने अभियुक्त सुशीला को दोषमुक्त करते हुए, उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

(7) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने, आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

(8) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बलपूर्वक तर्क किया है कि वर्तमान प्रकरण में दोषसिद्धि मुख्यतः अनुमान, शंका तथा विधिसंगत साक्ष्य के अभाव पर आधारित है। अभियोजन अपराध के हेतुक को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है और किसी प्रकार के साक्ष्य के बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया है। मृतका के पति घासीराम (अ.सा.–2) ने अपीलार्थी के निशानदेही पर जप्त कथित वस्तुओं के संबंध में यह नहीं कहा कि अपीलार्थी से जप्त की गई वस्तुएँ उसकी पत्नी की थीं। अन्वेषण अधिकारी ने न्यायालय में उन वस्तुओं की पहचान की, जो उन वस्तुओं से परिचित नहीं था। ऐसा कोई न्यूनतम साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पुलिस को यह कैसे ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी ने उपर्युक्त अपराध कारित किया है। अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार भी, वस्तुएँ गाँव-वालों द्वारा प्रयुक्त खाद के गड्ढे में खुले स्थान पर पड़ी हुई थीं, जो अपीलार्थी के विशेष कब्जे में नहीं था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वस्तुएँ अपीलार्थी के निशानदेही पर बरामद भी नहीं हुई हैं, जैसा कि पंच साक्षी कुमार चंद्रवंशी (अ.सा.–3) एवं बिशौहा (अ.सा.–8) के साक्ष्य से परिलक्षित होता है, जिन्हें अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है, उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया गया था, उस समय पुलिस स्वयं ही उक्त वस्तुओं के कब्जे में थी तथा पुलिस की ओर से उन्हें बताया गया कि अपीलार्थी ने ही वे वस्तुएँ खाद के गड्ढे से निकाली हैं। मात्र पुलिस अधिकारी का साक्ष्य ही प्रकटन कथन तथा वस्तुओं की जप्ती प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि परीक्षण-पहचान परेड कोई सारवान साक्ष्य नहीं है; न्यायालय के समक्ष दिया गया साक्ष्य ही वास्तविक सारवान साक्ष्य है। परीक्षण-पहचान परेड का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अन्वेषण सही दिशा में चल रहा है। जिन व्यक्तियों ने अपीलार्थी की पहचान की, वे अपीलार्थी के लिए पूर्व से अज्ञात थे और उन्हें अपीलार्थी को देखने का पर्याप्त अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था, अतः परीक्षण-पहचान परेड आवश्यक थी; परन्तु वर्तमान प्रकरण में परीक्षण-पहचान परेड पुलिस की उपस्थिति में कराई गई तथा साक्षियों ने अपीलार्थी को पुलिस अभिरक्षा में देख लिया था, जिससे परीक्षण-पहचान परेड की संपूर्ण प्रक्रिया दूषित हो जाती है।

(9) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी, जो उसी गाँव का निवासी है, के कब्जे से 90,000 रुपये की नकदी तथा मृतका के वे आभूषण जप्त हुए जिन्हें वह अपनी मृत्यु के समय पहने हुई थी, और उन वस्तुओं की पहचान मृतका के पति घासीराम (अ.सा.–2) ने की है। वस्तुओं की इस पहचान का अपीलार्थी द्वारा न तो खंडन किया गया है और न ही उस पर कोई संदेह प्रकट किया गया है। डकैती

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने-आप में अपराध के कारित करने के लिए पर्याप्त हेतुक है। डकैती में लूटी गई वस्तुएँ अपीलार्थी के कब्जे से जप्त हुईं, जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने प्रच छन्न गृह-अतिचार कारित किया तथा डकैती के बाद हत्या कारित की है।

(10) पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर उचित रूप से विवेचन करने के लिए, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

(11) वर्तमान प्रकरण में, मिलाबाई की गला घोंटे जाने के परिणामस्वरूप हुई मानववध प्रकृति की मृत्यु को अपीलार्थी की ओर से गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, डॉ. संतोष लुनिया (अ.सा.–4) के साक्ष्य तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी/14 से भी यह प्रमाणित होता है कि मिलाबाई की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

(12) प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत और अखंडित साक्ष्य के अनुसार, मृतका का शव उसके ही घर के अंदर पाया गया, कमरे का ताला टूटा हुआ था तथा आभूषणों के साथ-साथ 90,000 रुपये की नकदी भी चोरी हो गई थी। अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि मुख्यत: इस तथ्य पर आधारित है कि उसके **प्रकटन कथन** के आधार पर उसके निशानदेही पर आभूषण तथा नकदी जप्त हुई और उन वस्तुओं की पहचान, मृतका की उन वस्तुओं के रूप में की गई जिन्हें वह मृत्यु के समय पहने हुई थी।

(13) मृतका के पति घासीराम (अ.सा.–2) के साक्ष्य के अनुसार, वह अपनी पत्नी के साथ ग्राम पिपरिया गया था। मृतका वहाँ से ग्राम गोपालभावना स्थित अपने घर, वापस आ गई और वह स्वयं ग्राम राबेली चला गया। दूसरे दिन उसे टेलीफ़ोन से सूचना मिली कि उसकी पत्नी मिलाबाई की मृत्यु हो गई है, वह गोपालभावना स्थित अपने घर वापस आया, जहाँ उसने अपनी पत्नी का शव अपने ही घर में खाट पर पड़ा हुआ देखा और पाया कि मृतका के शरीर से लच्छा, करधन, ऐंठी, चाँदी की अंगूठी, कानों के आभूषण तथा हार-माला आदि आभूषण नहीं थे, उसने देहाती नलिशी प्र.पी/2 तथा मर्ग प्र.पी/3 दर्ज कराई। ताले की दूसरी चाबी उसके कब्जे से प्र.पी/6 के तहत जप्त की गई। उसके साक्ष्य के अनुसार, परीक्षण-पहचान परेड नायब तहसीलदार द्वारा कराई गई, जिसमें उसने लच्छा, करधन, ऐंठी, चाँदी की अंगूठी, कानों के आभूषण तथा हार-माला आदि आभूषणों की पहचान अपनी पत्नी के आभूषणों के रूप में प्र.पी/1 के तहत की।

(14) निरीक्षक संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेने के बाद उसने उसकी पूछताछ की, जिस पर अपीलार्थी ने आभूषणों अर्थात् ऐंठी, लच्छा, करधन, चाँदी की अंगूठी, सोने के पत्ते, सोने की टॉप्स तथा ₹90,000/- नकदी के संबंध में प्रकटन कथन किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और बताया कि इन्हें उसने अपने रसोई-बाड़ी में स्थित खाद के गड्ढे में छिपाकर रखा है, जिसे प्र.पी/7 में दर्ज किया गया। उसने आगे यह भी कथन किया है कि वह अपीलार्थी के साथ उसके रसोई-बाड़ी में गया, जहाँ से अपीलार्थी ने खाद के गड्ढे से छिपाकर रखे गए आभूषण निकाले, जिन्हें उसने प्र.पी/9 के तहत जप्त किया। उसने आभूषणों का वज़न भी उल्लेखित किया है। मनोज सोनी (अ.सा.-12) ने यह कथन किया है कि उसे पुलिस द्वारा ग्राम गोपालभावना बुलाया गया, जहाँ उसने आभूषणों का वज़न प्र.पी/12 के अनुसार किया।

(15) अभियोजन ने पंच गवाह कुमार चन्द्रवंशी (अ.सा.-3) और बिशौहा (अ.सा.-8) का परीक्षण किया है, जिन्होंने यह कथन दिया कि आभूषण तथा मुद्रा नोट अपीलार्थी के मकान के बगल में स्थित खाद के गड्ढे के पास से जप्त किए गए। उन्होंने विशेष रूप से कथन किया है कि जब उन्हें पुलिस ने बुलाया, उस समय आभूषण पहले से ही पुलिस के कब्जे में थे और उन्हें केवल यह बताया गया कि वर्तमान अपीलार्थी ने ही वे आभूषण खाद के गड्ढे से निकाले हैं। अभियोजन ने इन दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया है। उन्होंने प्रकटन कथन प्र.पी/7 तथा जप्ती पंचनामा प्र.पी/10 पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थी ने आभूषणों और मुद्रा नोटों के संबंध में प्रकटन कथन किया था तथा वही खाद के गड्ढे में छिपाकर रखे गए थे, जहाँ से उनकी जप्ती हुई। उन्होंने प्र.पी/7 और प्र.पी/10 का समर्थन नहीं किया है, परन्तु यह भी नहीं बताया कि जब अपीलार्थी ने ऐसा कोई कथन किया ही नहीं, तब उन्होंने इन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर क्यों किए। उन्होंने यह भी न तो कथन किया और न ही कोई परिस्थिति स्पष्ट की, जिसके कारण उन्हें ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया हो। इन परिस्थितियों में केवल यही निष्कर्ष सम्भव है कि वे सत्य को छिपा रहे हैं, किन्तु तथ्य यह है कि उन्हें अपीलार्थी के मकान के बगल में स्थित खाद के गड्ढे के पास ही बुलाया गया था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) आभूषणों और मुद्रा नोटों की जप्ती पुलिस द्वारा ही तैयार की गई। ऐसी स्थिति में विचारार्थ मात्र अन्वेषण अधिकारी संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) का साक्ष्य शेष रह जाता है। संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) भले ही पुलिस अधिकारी हैं और प्रकरण के परिणाम में उनकी रुचि हो सकती है, किन्तु केवल इस आधार पर, उनके संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

(17) पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के साक्ष्यगत मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **अनिल अलियास अंडया सदाशिव नंदोस्कर विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य**[1] प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि पुलिस अधिकारियों के कथन केवल इस आधार पर कि वे पुलिस

[1] (1996) 2 एससीसी 589

अधिकारी हैं, त्याज्य नहीं हैं। तथापि, उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना तथा स्वतंत्र रूप से विवेचन किया जाना अपेक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी प्रतिपादित किया कि मात्र इस कारण से कि गवाह पुलिस अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न नहीं होता, यदि पंच गवाहों का परीक्षण न किए जाने का कारण संतोषजनक रूप से स्पष्ट कर दिया गया हो। उक्त न्यायदृष्टांत के कंडिका 5 में यह अभिनिर्धारण किया गया है –

> "वास्तव में तलाशी एवं जप्ती के समर्थन में जिन 5 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया गया है, वे सभी छापामार दल के सदस्य थे। वे सभी पुलिस अधिकारी हैं। तथापि, ऐसा कोई विधि का नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को त्याग दिया जाए अथवा उसमें किसी अंतर्निहित दुर्बलता का आरोपण किया जाए। सतर्कता यह अपेक्षा करती है कि प्रकरण के परिणाम में रुचि रखने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए तथा स्वतंत्र रूप से उसका विवेचन किया जाए। पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने में किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त नहीं होते और मात्र यह तथ्य कि वे पुलिस अधिकारी हैं, अपने-आप में उनकी विश्वसनीयता के संबंध में किसी संदेह को जन्म नहीं देता। हमने सभी 5 पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक एवं आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि उनमें से कोई भी पक्षद्रोही था और विस्तृत प्रतिपरीक्षण के बावजूद उनके साक्ष्य संपूर्ण रूप से अखंडित रहे हैं। इन गवाहों ने अपीलार्थी को पकड़ने हेतु बिछाए गए जाल का तथा जिस प्रकार उसे पकड़ा गया, उसका ब्यौरा स्पष्ट शब्दों में अपने कथनों में दिया है। अपीलार्थी से हथियारों की तलाशी एवं जप्ती के संबंध में उनका साक्ष्य सरल, सुसंगत एवं विशिष्ट है। यह साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उनके साक्ष्य में किसी भी गंभीर, दुर्बलता की ओर संकेत करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। हमारे मत में, अपीलार्थी के कब्जे से देसी रिवाल्वर की तलाशी एवं जप्ती का तथ्य अभियोजन द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कर दिया गया है। पंच गवाहों में से दो का परीक्षण न किए जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा दी गई व्याख्या, जो अ.सा. 4 पी.आई. गायकवाड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी/24 से समर्थित है, संतोषजनक है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि छापामार दल ने तलाशी एवं जप्ती के समय उनके साथ दो स्वतंत्र पंचों को सम्मिलित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए थे तथा उन्हें अभियोजन साक्षी के रूप में भी अंकित किया गया था और साक्ष्य देने हेतु बुलाया भी गया था। तथापि, अभियोजन एजेन्सी द्वारा उन्हें तामील कराने के लिए किए गए परिश्रमी प्रयासों के बावजूद वे खोजे या पता नहीं लगाए जा सके और इसलिए उनका परीक्षण प्रकरण के विचारण के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दौरान नहीं हो सका। रिपोर्ट प्रदर्श पी/24 में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में, जिसकी सत यता को अ.सा. 4 के प्रतिपरीक्षण के दौरान चुनौती नहीं दी गई, उन दो पंचों का परीक्षण न किया जाना किसी भी कपटपूर्ण कारण से प्रेरित नहीं कहा जा सकता। अतः, उनके प्रकरण के विचारण में प्रस्तुत न किए जाने से अभियोजन प्रकरण में कोई क्षति उत्पन्न नहीं हुई है। अभियोजन पर इन गवाहों को रोककर रखने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभियोजन ने उन्हें खोज निकालने एवं प्रकरण के विचारण में प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु तलाशी के समय उन्होंने जो पते उपलब्ध कराए थे, उन्हें छोड़ देने तथा उनके निवासों का परिश्रमी प्रयासों के बावजूद पता नहीं चल पाने के कारण यह प्रयास असफल रहा। अतः, हम अपीलार्थी की गिरफ्तारी, छापामार दल द्वारा की गई तलाशी एवं जप्ती तथा अपीलार्थी से जप्त देसी रिवाल्वर एवं कारतूस, जिसके लिए वह कोई अनुज्ञा-पत्र या अधिकर पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, से संबंधित अभियोजन कथन की सत्यता पर पंच गवाहों के परीक्षण न होने के कारण संदेह करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हम पाते हैं कि अ.सा. 1 से अ.सा. 5 तक का साक्ष्य विश्वसनीय, ठोस एवं भरोसेमंद है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) आगे, **पी.पी. बीरन विरूद्ध केरल राज्य**[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस उपनिरीक्षक के असमर्थित साक्ष्य पर भी विश्वास किया जा सकता है।

(17) संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार, उसने अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया, जिस दौरान अपीलार्थी ने सभी आभूषणों एवं मुद्रा नोटों के संबंध में प्रकटन कथन किया और विशेष रूप से बताया कि उन्हें खाद के गड्ढे में गाड़कर रखा गया है। इसके बाद वह अपीलार्थी को उसी गड्ढे के पास ले गया, जहाँ से अपीलार्थी ने वे आभूषण निकाले; उनका वज़न किया गया और उन्हें प्र.पी/9 के तहत जप्त किया गया। प्र.पी/9 से यह प्रकट होता है कि जप्ती की कार्यवाही दिनांक 18.10.2007 को दोपहर 12.30 बजे हुई, जबकि वज़न संबंधी दस्तावेज़ प्र.पी/12 में वज़न करने का समय 12.15 बजे दर्ज है। मनोज सोनी (अ.सा.-12) ने प्र.पी/12 तैयार किया और यह कथन किया कि उसने लच्छा, करधन, ऐंठी, सोने की टॉप्स और पत्तों आदि आभूषणों का वज़न किया। प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि पुलिस ने उसे सुबह 9 बजे बुलाया था और वह 11 बजे ग्राम गोपालभावना पहुँचा। प्र.पी/12 के अनुसार उसने लगभग 12.15 बजे उन वस्तुओं का वज़न किया। प्रकटन कथन प्र.पी/7 सुबह 11 बजे दर्ज हुआ है। समय एवं दस्तावेज़ तैयार होने के संबंध में कुछ विसंगति है। प्र.पी/9 में वस्तुओं का वज़न दर्ज है, जिससे पता चलता है

[2] एआईआर 2001 एससी 2420

कि वह प्र.पी/12 के बाद ही तैयार हुआ। समय को लेकर एक-दो घंटे का अंतर हो सकता है। मनोज सोनी (अ.सा.-12) ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि पुलिस ने उसे ठीक 9 बजे या 10 बजे बुलाया; उसने इतना कहा कि 9 से 10 बजे के बीच पुलिस ने बुलाया और 11 बजे तक उसने अपना काम पूर्ण कर लिया। अतः सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे मेमोरेण्डम दर्ज होने के बाद तथा वस्तुओं की जप्ती से पहले बुलाया गया था। किसी भी दशा में मनोज सोनी (अ.सा.-12) का सामना प्र.पी/12 से नहीं कराया गया, जो स्वयं उसके द्वारा तैयार दस्तावेज़ है और जिसमें 12.15 बजे का समय अंकित है। अभियोजन के साक्षियों ने कहा है कि खाद का गड्ढा अपीलार्थी के घर के पास, परंतु खुले स्थान पर, तथा गाँव के अन्य व्यक्तियों के मकानों के पास स्थित है। खाद का गड्ढा यद्यपि खुले स्थान पर है, किंतु संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) के साक्ष्य से विशेष रूप से यह पता चलता है कि वस्तुएँ खुले में नहीं रखी थीं, बल्कि खाद के गड्ढे में गाड़ी हुई अवस्था में थीं, जो अन्य व्यक्तियों को दिखाई नहीं देती थीं; यहाँ तक कि पक्षद्रोही पंच साक्षियों कुमार चन्द्रवंशी (अ.सा.-3) और बिशौहा (अ.सा.-8) ने भी यह नहीं कहा कि वस्तुएँ खुले स्थान या खुले खाद-गड्ढे में पड़ी हुई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) यह देखते हुए कि पंच साक्षी कुमार चन्द्रवंशी (अ.सा.-3) और बिशौहा (अ.सा.-8) सत्य को छिपा रहे हैं, संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) का ही एकमात्र साक्ष्य विचारार्थ उपलब्ध है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी को न तो यह सुझाया कि वह किसी प्रकार से हितबद्ध है और न ही यह कि उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उसका साक्ष्य दस्तावेज़ों प्र.पी/7 और पी/9 द्वारा भली-भाँति संपुष्टीकारक है, जो विश्वास उत्पन्न करता है और भरोसेमंद है, तथा इस पर सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थी के प्रकटन कथन के आधार पर ही वस्तुएँ खाद के गड्ढे से बरामद की गईं, जहाँ वे छिपी हुई अवस्था में थीं और जन-सामान्य को दिखाई नहीं देती थीं। केवल वस्तुओं की बरामदगी अपने-आप में अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगात मक परिस्थिति नहीं बनती, यदि उसका समुचित स्पष्टीकरण दिया जाए। अपीलार्थी पर यह दायित्व था कि वह यह स्पष्टीकरण दे कि घटना के मात्र तीन दिनों के भीतर खाद के गड्ढे में छिपी उन वस्तुओं के बारे में उसे कैसे जानकारी हुई; किंतु उसने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया।

(19) जहाँ तक वस्तुओं की पहचान के प्रश्न या इस प्रश्न का संबंध है कि क्या वे वस्तुएँ मृतका की थीं, अभियोजन ने मृतका के पति घासीराम (अ.सा.-2) का परीक्षण किया है, जिन्होंने विशेष रूप से यह कथन किया है कि उपर्युक्त वस्तुएँ मृतका के शरीर से गायब थीं, जो इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि जब मृतका जीवित थी, तब वह वे आभूषण पहने हुई थी। उसने उक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वस्तुओं की पहचान प्र.पी/1 के माध्यम से की है। बचाव पक्ष ने इस गवाह से प्रतिपरीक्षण तो किया है, परंतु पहचान के प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा। उनके साक्ष्य के अनुसार, ये वस्तुएँ उसने जून 2007 में खरीदी थीं, उनकी पत्नी वे आभूषण पहना करती थी और उन्हें उन वस्तुओं को देखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त था।

(20) नायब तहसीलदार एस.आर. दीवान (अ.सा.-13) ने पहचान कार्यवाही कराई, जिसने विशेष रूप से यह कथन किया कि वस्तुओं की पहचान की गई थी। उसने छह समान प्रकार की वस्तुओं को आपस में मिलाया। मृतका के पति, जिसने आभूषण खरीदा था, बिना किसी विशिष्ट पहचान-चिह्न के भी उन वस्तुओं की पहचान कर पाने की स्थिति में था, और वस्तुओं को मिलाने की संख्या में किसी प्रकार की त्रुटि इस गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेगी। परीक्षण-पहचान परेड का साक्ष्य कोई तात्विक साक्ष्य नहीं है, जबकि न्यायालय के समक्ष दी गई पहचान का साक्ष्य ही तात्विक साक्ष्य होता है।

(21) वर्तमान मामले में, साक्ष्य-लेखन के दौरान वस्तुएँ घासीराम (अ.सा.-2) को नहीं दिखायी गईं; अपितु, वे वस्तुएँ अन्वेषण अधिकारी संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) को दिखायी गईं, जिन्होंने उन वस्तुओं की पहचान की और उन्हें वस्तु क्रमांक 1 से 10 के रूप में अंकित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि वस्तु क्रमांक 1 से 7 वे ही वस्तुएँ हैं जिन्हें उन्होंने जप्त किया था, यद्यपि वह इन वस्तुओं की पहचान मिलाबाई की वस्तुओं के रूप में करने की स्थिति में नहीं था; तथापि, उसके कंडिका 21 के अखंडित साक्ष्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उसने प्रकटन कथन प्र.पी/7 के आधार पर प्र.पी/9 के माध्यम से अपीलार्थी से 1 से 7 क्रमांक की वस्तुएँ जप्त कीं, जिन्हें अपीलार्थी ने खाद के गड्ढे से निकालकर प्रस्तुत किया था।

(22) घासीराम (अ.सा.-2) का साक्ष्य इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी से जप्त की गई वस्तुओं की पहचान उसने परीक्षण-पहचान परेड में की है। दोनों साक्षियों, अर्थात् घासीराम (अ.सा.-2) और संजय पुन्धिर (अ.सा.-9) के साक्ष्य आगे इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी के मेमोरेण्डम के आधार पर जप्त किए गए आभूषण ही वस्तु क्रमांक 1 से 7 हैं और इन्हीं की पहचान घासीराम (अ.सा.-2) ने परीक्षण-पहचान परेड में की है। ये साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि घर में घुसकर किए गए प्रच्छन्न गृह अतिचार, हत्या तथा आभूषणों और मुद्रा नोटों की डकैती की घटना दिनांक 15/16-10-2007 की मध्यरात्रि को होने के तुरंत बाद, घटना के दो दिन बाद, अर्थात् दिनांक 18-10-2007 को वही वस्तुएँ अपीलार्थी के कब्जे में पाई गईं। अपीलार्थी ने उस संपत्ति पर अपना

कोई अधिकार होने का दावा नहीं किया है। किसी स्पष्टीकरण के अभाव में, न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत यह उपधारणा कर सकता है कि जो व्यक्ति चोरी की गई संपत्ति के शीघ्र बाद कब्जे में पाया जाए, वह या तो स्वयं चोर है या यह जानते हुए कि संपत्ति चोरी की है, उसने उसे प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे दे; और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की चित्र (अ) केवल चोरी के आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रमशः किए गए सभी आरोपों, जिनमें हत्या और डकैती भी शामिल हैं, को समझने में लागू हो सकती है।

(23) ऐसे उपधारणा के प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **तुलसीराम कानू विरूद्ध द स्टेट**[3] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत जो उपधारणा की जा सकती है, उसे महत्त्वपूर्ण समय-कारक के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि मृतक के आभूषण या अन्य वस्तुएँ हत्या के तुरंत बाद किसी व्यक्ति के कब्जे में पाई जाएँ, तो उसके अपराधी होने की उपधारणा की जा सकती है। परन्तु यदि बीच-बीच में कई महीने के अंतराल ही जाएँ, तो प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे उपधारणा करने की अनुमति नहीं भी दी जा सकती। उपर्युक्त प्रकरण में हाल ही के और बिना स्पष्टीकरण के कब्जे के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि हत्या की उपधारणा भी की जा सकती है।

(24) उसी प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **सुंदरलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य**[4] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि मृतक के शरीर से संबंधित चोरी की गई वस्तु हाल ही में किसी व्यक्ति के कब्जे में पाई जाए और उसके बारे में वह कोई स्पष्टीकरण न दे, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि अभियुक्त मृतक की हत्या के लिए भी उत्तरदायी है।

(25) वर्तमान प्रकरण में, घटना के दो दिनों के भीतर ही अपीलार्थी, मृतका द्वारा पहने आभूषणों तथा ₹90,000/- की मुद्रा के नोटों के कब्जे में पाया गया। अपीलार्थी ऐसी हाल के कब्जे के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। मृतका के कमरे का ताला टूटा हुआ पाया गया और उसका शव घर के अंदर मिला, जो यह उपधारणा के लिए पर्याप्त है कि किसी व्यक्ति ने घर में छिपकर प्रवेश कर डकैती कारित की और साथ ही मृतका मिलाबाई की हत्या कारित भी की है। मृतका मिलाबाई द्वारा पहने जा रहे आभूषणों तथा उसके घर से चोरी हुई मुद्रा के नोटों की हाल के कब्जे के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के अभाव में केवल यही निष्कर्ष संभव है कि अपीलार्थी ने ही आभूषणों की डकैती की और घर में छिपकर प्रवेश करने के बाद मिलाबाई की हत्या की।

[3] एआईआर 1954 एससी 1
[4] एआईआर 1954 एससी 28

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(26) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के बाद सत्र न्यायाधीश, कवर्धा (कबीरधाम) ने अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध कर दंडित किया है।

(27) सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत, हमें दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि दिखाई नहीं देती।

(28) परिणामत:, अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-	सही/-
टी.पी. शर्मा	आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक